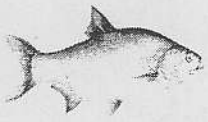

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

प्रगतिशील कृषक/मछली उत्पादन से जुड़े बंधु ध्यान दें।

राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए केन्द्रीय योजनागत योजना– **"नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन"** योजना की स्वीकृत राज्यादेश संख्या 1956 दिनांक 23.06.2017 द्वारा प्रदान की गयी है जो विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। ।इस योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान की अनुमान्यता है। योजनान्तर्गत निम्नलिखित अवयवों का कार्यान्वयन किया जा रहा है :–

1. नये तालाब का निर्माण–
   - प्रति हेक्टेयर 7.0 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 50.06 हेक्टेयर।
2. आर्द्रभूमि का विकास –
   - प्रति हेक्टेयर 5.0 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 145 हेक्टेयर।
3. प्रथम वर्ष इन्पुट (नये तालाब एवं विकसित आद्रभूमि हेतु)–
   - प्रति हेक्टेयर 1.5 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 195.06 हेक्टेयर।
4. आर्द्रभूमि में अंगूलिकाओं का संचयन –
   - प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 0.5 लाख ।
   - लक्ष्य– 1000 हेक्टेयर।
5. केज में मछली पालन
   - इकाई लागत –3.0 लाख ।
   - लक्ष्य–84 संख्या।
6. हैचरी का निर्माण –
   - इकाई लागत– 22.00 लाख ।
   - लक्ष्य– 20 संख्या
7. फिश फीड मील का अधिष्ठापन–
   - इकाई लागत 100 लाख तथा 10 लाख।
   - लक्ष्य– 1 तथा 5 संख्या।

उपर्युक्त अवयवों का लाभ उठाकर आप अपना आर्थिक विकास कर सकते है।

इच्छुक मत्स्य कृषक अपना आवेदन अद्यतन राजस्व रसीद, एल0पी0सी0, स्वहस्ताक्षरित फोटो, तथा फोटो पहचान पत्र के साथ अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र में अपना मोबाईल नम्बर का अवश्यक उल्लेख करें।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।